



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052025-263091
CG-DL-E-14052025-263091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2051]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2025/वैशाख 19, 1947

No. 2051]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2025/VAISAKHA 19, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2025

का.आ. 2096(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार एवं झारखण्ड राज्य में NH-98 के कि.मी. 23.284 से कि.मी. 57.041 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् लैंड रिफार्म डिप्टी कलेक्टर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर

द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार एवं झारखण्ड राज्य में NH-98 के कि.मी. 23.284 से कि.मी. 57.041 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: औरंगाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कुटुम्बा					
गांव का नाम: बसडीहा गोपाल					
1	344	निजी (रैयती)	धनहर	0.02 (एकर)	0.0080939
गांव का नाम: सण्डा					
2	132	निजी (रैयती)	धनहर	0.2402 (एकर)	0.0972076
3	133	निजी (रैयती)	धनहर	0.05 (एकर)	0.0202347
गांव का नाम: महाराजगंज					
4	244	निजी (रैयती)	भीठ	0.18 (एकर)	0.072845
5	616	निजी (रैयती)	भीठ	0.0219 (एकर)	0.0088628
6	617	निजी (रैयती)	भीठ	0.0763 (एकर)	0.0308782
7	679	निजी (रैयती)	भीठ	0.5347 (एकर)	0.2163901
8	686	निजी (भीठ)	भीठ	0.0158 (एकर)	0.0063942
9	953	निजी (रैयती)	भीठ	0.57 (एकर)	0.2306758
10	959	निजी (रैयती)	भीठ	0.0754 (एकर)	0.030514
गांव का नाम: डिहरी					
11	111	निजी (रैयती)	धनहर	0.03 (एकर)	0.0121408
12	150	निजी (रैयती)	धनहर	0.05 (एकर)	0.0202347
13	157	निजी (रैयती)	धनहर	0.01 (एकर)	0.0040469

14	159	निजी (रैयती)	धनहर	0.01 (एकर)	0.0040469
15	312	निजी (रैयती)	धनहर	0.03125 (एकर)	0.0126467
16	328	निजी (रैयती)	धनहर	0.0031 (एकर)	0.0012546
17	337	निजी (रैयती)	परती कदीम	0.03 (एकर)	0.0121408
18	472	निजी (रैयती)	धनहर	0.0138 (एकर)	0.0055848
19	480	निजी (रैयती)	धनहर	0.03125 (एकर)	0.0126467
गांव का नाम: पोला					
20	1088	निजी (रैयती)	धनहर	0.07 (एकर)	0.0283286
21	1172	सरकारी (गैरमजरुआ मालिक)	परती कदीम	0.1882 (एकर)	0.0761635
Total					0.9113313

[फा. सं. 11015/5PD/DHN/LA/NH-98/2861/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2025

S.O. 2096(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH98 in the stretch of land from Km. 23.284 to Km. 57.041 in the state of Bihar and Jharkhand, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Land Reform Deputy Collector in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-98 in the stretch of land from Km. 23.284 to Km. 57.041 in the state of Bihar and Jharkhand.

State: BIHAR			District: AURANGABAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kutumba					
Village: Basdiha Gopal					
1	344	Private (Raiyati)	Dhanhar	0.02 (Acre)	0.0080939
Village: Sanda					
2	132	Private (Raiyati)	Dhanhar	0.2402 (Acre)	0.0972076
3	133	Private (Raiyati)	Dhanhar	0.05 (Acre)	0.0202347
Village: Maharajganj					
4	244	Private (Raiyati)	Bhith	0.18 (Acre)	0.072845
5	616	Private (Raiyati)	Bhith	0.0219 (Acre)	0.0088628
6	617	Private (Raiyati)	Bhith	0.0763 (Acre)	0.0308782
7	679	Private (Raiyati)	Bhith	0.5347 (Acre)	0.2163901
8	686	Private (Bhith)	Bhith	0.0158 (Acre)	0.0063942
9	953	Private (Raiyati)	Bhith	0.57 (Acre)	0.2306758
10	959	Private (Raiyati)	Bhith	0.0754 (Acre)	0.030514
Village: Dihari					
11	111	Private (Raiyati)	Dhanhar	0.03 (Acre)	0.0121408
12	150	Private (Raiyati)	Dhanhar	0.05 (Acre)	0.0202347
13	157	Private (Raiyati)	Dhanhar	0.01 (Acre)	0.0040469
14	159	Private (Raiyati)	Dhanhar	0.01 (Acre)	0.0040469
15	312	Private (Raiyati)	Dhanhar	0.03125 (Acre)	0.0126467
16	328	Private (Raiyati)	Dhanhar	0.0031 (Acre)	0.0012546
17	337	Private (Raiyati)	Parti Kadim	0.03 (Acre)	0.0121408
18	472	Private (Raiyati)	Dhanhar	0.0138 (Acre)	0.0055848
19	480	Private (Raiyati)	Dhanhar	0.03125 (Acre)	0.0126467
Village: Pola					
20	1088	Private (Raiyati)	Dhanhar	0.07 (Acre)	0.0283286
21	1172	Government (Gairmjarua Malik)	Parti Kadim	0.1882 (Acre)	0.0761635
Total					0.9113313

[F. No. 11015/SPD/DHN/LA/NH-98/2861/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director